कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस।

दिनांक 26/2/15

पत्रांक 841 /4B

सेवा में,

जिलापूर्ति अधिकारी,
हाथरस।

विषयः— **एस्सार ऑयल लिमिटेड, ए—5 सेक्टर नोयडा, बाबत् मथुरा सादाबाद मार्ग कि0मी0 45(चै0 250.00मी0) में रिटेल आउटलेट की स्थापना के सम्बन्ध में।**

संदर्भः— आपका पत्रांक — 582/जि0पू0अ0—एन0ओ0सी0/2014 दिनांक 19.12.2014 एवं मुख्य अभियन्ता का पत्रांक—2472/116सी—आ0क्षे0/14 दिनांक 20.02.2015 तथा अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़ का पत्रांक 819/8सी(ग) — अ0वृ0/15 दिनांक 21.02.15

मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा के निर्देश पर अनापत्ति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करने की संस्तुति की जाती है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0 33023/19/99 डी0ओ0—||| दि0 31.08.2000 एवं आर0डब्लू0/एन0एच0 — 33023/19/99—डी0ओ0— ||| दि0 25.09.03/17.10.2003 में दी गयी निम्न गाइड लाईन एवं शर्तो का अपने स्तर से अनुपालन कराने की कृपा करे।

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0 12—1983 के अनुसार ही किया जायेगा।
2. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग पर 1.00मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
3. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्गो पर निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईड खन्ती में 1.00मी0 चौड़ाई का ड्रेन बनाकर उसके ऊपर स्टील पाईप के केटिल कैचर बना दिया जाय ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधापूर्वक रोड साईड ड्रेन से होकर आगे प्राकृति नाली/नाले में बह सके।
4. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0—13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
5. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के Paved Area का लेबिल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेबिल से 0.50मी0 नीचे रखा जाय।
6. बफर स्ट्रिप के पास हैजेज की ऊँचाई 60सेमी0 से ऊपर न रखी जाय।
7. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 18.75मी0 की दूरी से कम पर कोई निर्माण नहीं होना चाहिये।
8. प्रस्तावित स्थल के 100मी0 दोनों ओर कोई रोड क्रासिंग नहीं होनी चाहिये।
9. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त समझा जायेगा।
10. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से संबंधित निर्माण कार्य कराने से पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस से लाईसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।
11. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाय, इस संबंध में लो0नि0वि0, का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. आई0आर0सी0—13 के अनुसार मार्ग पर 300मी0 दूरी तक कोई पेट्रोल पम्प स्थापित नहीं है।
13. लो0नि0वि0, मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही उक्त कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी प्रकार मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र रिटेल आऊटलेट मथुरा सादाबाद मार्ग के कि0मी0 45.00 के चैनेज 250.000 मी0 पर तहसील—सादाबाद, जिला हाथरस में प्रस्तावित स्थल पर निर्माण हेतु ही लागू होगा।
15. उपरोक्त शर्तो का पालन न करने की दशा में प्रदत्त स्वीकृति स्वतः रद्द मानी जायेगी।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार संपूर्ण प्रकरण मानचित्र की दो प्रतियों में।

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0लो0नि0वि0, हाथरस।

पत्रांक /
दिनांक

1. प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रा0), प्रा0ख0लो0नि0वि0, हाथरस को।

अधिशासी अभियंता